राजस्व वाद संख्याः— 34/2015
निहाला वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांकः— 16.12.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 34/2015

1. निहाला राम पुत्र जगसुख राम उम्र 65 साल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान ——— दौराने दावा मृतक

1/1. नर्मदा उम्र 75 साल पत्नी स्व0 निहाला राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/2. सांवर मल उम्र 50 साल पुत्र स्व0 निहाला राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/2/1. अनिल कुमार पुत्र स्व0 सांवरमल पुत्र स्व0 निहाला राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान हाल आबाद भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान

1/2/2. सुनिल कुमार पुत्र स्व0 सांवरमल पुत्र स्व0 निहाला राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान हाल आबाद भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान

1/2/3. सुमन पुत्री स्व0 सांवरमल पुत्र स्व0 निहाला राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान हाल आबाद भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान

1/2/4. शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 सांवरमल पुत्र स्व0 निहाला राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान हाल आबाद भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान

1/3. रामकिशन उम्र 40 साल पुत्र स्व0 निहाला राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/4. भुपेन्द्र सिंह उम्र 35 साल पुत्र स्व0 निहाला राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/5. मुकेश उम्र 25 साल पुत्र स्व0 निहाला राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/6. कलावती पुत्री स्व0 निहाला राम पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/7. बिमला देवी पुत्री स्व0 निहाला राम पत्नी इन्द्रजीत जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/8. संतोष देवी पुत्री स्व0 निहाला राम पत्नी महावीर जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner

1/9. गुड्डी देवी पुत्री स्व0 निहाला राम पत्नी सीताराम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/10. छोटी देवी पुत्री स्व0 निहाला राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

—— वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश उम्र 40 साल पुत्र स्व0 श्योचन्द जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
2. राजेन्द उम्र 35 साल पुत्र स्व0 श्योचन्द जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
3. भुलचन्द उम्र 28 साल पुत्र स्व0 श्योचन्द जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
4. गंगा देवी उम्र 60 साल पत्नी स्व0 श्योचन्द जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान ——— दौराने दावा मृतक
5. लक्ष्मीकान्त पुत्र ईश्वर उम्र 35 साल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
6. शान्ति देवी पत्नी ईश्वर उम्र 55 साल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
   —— दौराने दावा मृतक
7. श्रामवतार पुत्र मोहन लाल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
   —— दौराने दावा मृतक

   7/1. किताब देवी पत्नी स्व0 रामवतार जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

   7/2. रोहताश पुत्र स्व0 रामवतार जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

   7/3. धर्मपाल पुत्र स्व0 रामवतार जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

   7/4. रामसिंह पुत्र स्व0 रामवतार जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

   7/5. महावीर पुत्र स्व0 रामवतार जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

   7/6. संतोष देवी पुत्री स्व0 रामवतार जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner

8. रामनिवास पुत्र मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

——— दौराने दावा मृतक

8/1. बजरंग पुत्र स्व0 रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

8/2. दिनेश पुत्र स्व0 रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

8/3. विमला पुत्री स्व0 रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

9. रामविलास पुत्र मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10. चेतराम पुत्र कालूराम जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

——— दौराने दावा मृतक

10/1. बनवारी लाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/2. रामकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/3. माधोप्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/4. संतकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

——— दौराने दावा मृतक

10/4/1. ममता पत्नी स्व0 संतकुमार जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/4/2. श्यालू पुत्री स्व0 संतकुमार जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/4/3. विकास पुत्र स्व0 संतकुमार जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/4/4. स्वाति पुत्री स्व0 संतकुमार जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/5. पवन कुमार पुत्र मालूदीन जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

——— दौराने दावा मृतक

10/6/1. विमला देवी पत्नी स्व0 विश्वनाथ जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/6/2. भारती पुत्री स्व0 विश्वनाथ जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/6/3. नवरतन पुत्र स्व0 विश्वनाथ जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/7. बाई पत्नी भगवानाराम जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

10/8. धानोदर पुत्र भगवानाराम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/9. श्यामलाल पुत्र भगवानाराम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/10. कृष्णा देवी पत्नी नागरमल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

10/11. अतुल कुमार पुत्र नागरमल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

11. मालीराम पुत्र गणपत जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान ——— दौराने दावा मृतक

11/1. रतन लाल पुत्र मालीराम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान — दौराने दावा मृतक

11/1/1. संतरो देवी पत्नी स्व0 रतन लाल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

11/1/2. छाजुराम पुत्र स्व0 रतन लाल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

11/1/3. नीलम पुत्री स्व0 रतन लाल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

11/1/4. उर्मिला पुत्री स्व0 रतन लाल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

11/1/5. आशा पुत्री स्व0 रतन लाल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

11/1/6. शर्मिला पुत्री स्व0 रतन लाल जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

11/2. कांशीराम पुत्र स्व0 मालीराम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

11/3. विनोद कुमार पुत्र स्व0 मालीराम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

12. कुनणराम पुत्र गणपत राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान ——— दौराने दावा मृतक

12/1. कैलाश पुत्र स्व0 कुनण राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

12/2. मुरारी लाल पुत्र स्व0 कुनण राम जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

——— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी ने घोषणार्थ विभाजन दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 लगायत 9 एक ही परिवार के सदस्य है जिसका राजरा वाद पत्र में दर्ज है। ग्राम दोबड़ा में वादी एवं प्रतिवादीगण की पारिवारीक कृषि भुमि गत खसरा नम्बर 104 रकबा 26 बीघा 3 बिश्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 11 बीघा 4 बिश्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 14 बीघा 2 बिश्वा को वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी की भुमि है जिसे सब मिलकर काश्त करते है। खसरा नम्बर 114, 104,91 कुल रकबा 51 बीघा 9 बिश्वा का 1/2 हिस्सा जयसुख के वारिसान व 1/2 हिस्सा मोहन के वारिसान का उक्त भुमि में वादी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जिसका विभाजन नही हुआ और संयुक्त खातेदारी में काश्त करते आ रहे है वादी बसिलसिले रोजगार ग्राम भाडी हनुमानगढ़ में रहता है और समय समय पर अपनी जमीन को सार सम्भाल व काश्त करने के लिये आता रहता है लेकिन प्रतिवादी नं० 1 व 2 के पिता श्योचन्द ने पटवारी एवं सरपंच से साज कर फर्जी दस्तावेज बनाकर वादी का 1/6 हिस्सा अपने नाम दिनांक 01.08.1970 को करवा लिया जो नल एण्ड वोईड है। भुमि गत खसरा नम्बर 104, 114, व 91 से नये खसरा नम्बर 196, 198, 212, 213, 214, 62, 63, 64 हाल सैटलमेन्ट के दौरान कायम हुये। जिसमें वादी का हिस्सा रेवेन्यू रिकार्ड में खत्म कर दिया गया। दिनांक 10.11.1997 को नाम जुड़वाने से साफ इन्कार करते हुये कब्जा काश्त में दखल देने की धमकी दी। अतः भुमि गत खसरा नम्बर 104, 114, 91 की कुल भुमि का 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित कर बटवारा कर अलग खसरा कायम करने व स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया गया।

वाद दिनांक 21.05.2005 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनूं से प्राप्त होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहाँ दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 06.04.2015 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ को स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलबी जरिये सम्मन करवायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 की ओर से श्री मूलचन्द शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 12 तामील होने के बावजूद हाजीर नहीं आने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने अपने जबाब दावा दिनांक 13.03.2007 में बताया वादी बचपन में ही ग्राम भाड़ी तहसील भादरा (हनुमानगढ़) के नानूराम पुत्र धन्नाराम जाति ब्रहामण निवासी भाड़ी के रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 13.11.1961 के द्वारा गोद चला गया और ग्राम भाड़ी में ही रहने लग गया। वादी अपने जायन्दा पिता जयसुख की समस्त चल व अचल सम्पति में अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गये और ग्राम दोबड़ा में स्थित भुमि में वादी का कोई तालुक नही रहा। वादी ने लालच वश झुठे व मनगढ़त तथ्य दर्ज किये है और वादी ने अपने हिस्से की पूरी कृषि भुमि अपने सगे भाई श्योचन्द को ... रुपये नकद लेकर दे दी जिसकी लिखावट बही में ग्राम के मौतबीर पंचो व नम्बरदारो के सामने लिखवाकर अंगुठा निशानी कर दी जिस कारण वादी का भुमि में कोई हक हिस्सा नही है अन्त में प्रतिवादीगण ने वादी का वाद पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र में कुल 9 तनकीयात कायम की गई। तनकीयात कायम करने के बाद वाद पत्र में वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

... पुत्र निहालाराम का शपथ पत्र पीoडब्लू-1 पेश कर वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 लगायत 10 ... किये गये। जिरह प्रतिवादी वकील की ओर से की गई और प्रतिवादी की ओर से दिनांक 17. ...2012 को मदन, धर्मपाल, मूलचन्द, राजेन्द्र के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र डी.डब्लू. 1 लगायत 4 ... किये गये जिनसे जिरह वकील वादी द्वारा की गई प्रतिवादी की ओर से कुल 11 दस्तावेज प्रदर्शित ... गई। प्रतिवादी की ओर से मुख्य परीक्षण के लिये पेश किये गये नेतराम व रामस्वरूप साक्ष्य ... उपस्थित नही होने से उनकी साक्ष्य बन्द की गई। पत्रावली पर दिनांक 01.12.2022 को उभय पक्ष ... विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबुत का अवलोकन किया ... वाद पत्र में तनकीयात निर्णित बिन्दु निम्न प्रकार है:।

तनकी नम्बर 1 आया वादी मरा भुमि खसरा नम्बर 104, 114, 91 से बने हाल खसरा नम्बर 196, 198, 212, 213, 214, 62, 63, 64 वाके ग्राम दोवड़ा के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है इस आशय की घोषणा करवाने का अधिकारी है इस सन्दर्भ में वादी पक्ष के वकील ने अपनी बहस के दौरान बताया कि वादी के पिता जयसुख का देहान्त होने के बाद विवादित भुमि का विरासत में नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 14.07.1956 में श्योचन्द,ईश्वर, निहाला पिता जयसुख के पक्ष में बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई और भुमि का हिस्सा 1/6 वादी निहाला को उत्तराधिकार में प्राप्त होने पर भुमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हो गया और तब से लेकर आज तक विवादित भुमि पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रदर्श- 6, 7, 8, 9 से उक्त तथ्य भलिभांति साबित होते है तथा प्रदर्श -4 में उक्त जयसुख व मोहन की खातेदारी की भुमि रही है। दिनांक 01.09.1970 को ग्राम पंचायत ने प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के पिता श्योचन्द के हक में भरा गया नामान्तकरण वादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये वादी की खातेदारी बिना किसी सक्षम आदेश के प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के पिता श्योचन्द अकेले के नाम दर्ज कर दी जो विधि विरूद्ध होने से शुन्य व निष्प्रभावी है। ग्राम पंचायत को किसी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है ग्राम पंचायत को सन् 1970 में धारा 19 आर0टी0ए0 के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त करने या देने का क्षेत्राधिकार नही था। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में उक्त तथ्यो को साबित किया है। प्रतिवादीगण की ओर से पेश खोलानामा दिनांक 13.11.1961 का है क्योकि विवादित भुमि वादी को अपने पिता से विरासत में सन् 1956 में विधिक प्रक्रिया फौती नामान्तरण द्वारा प्राप्त हो चुकी थी उसके बाद वादी का किसी अन्यत्र गोद जाना वादी के खातेदारी अधिकारो को समाप्त नही करता है। वादी की ओर से पेश नजीर आर.आर.डी 1998 पेज नम्बर 400, आर.आर.डी 2001 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पेज नम्बर 192 से यह साबित होता है कि वादी अपने पिता से उत्तराधिकार में हिन्दू उत्तराधिकार एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 12(बी) में ही विवादित भुमि का 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। वकील प्रतिवादी द्वारा यह कथन कि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के पिता ने वादी के हिस्से को नौ सौ रूपये में बही में लिखावट करवाकर क्रय किया था साक्ष्य में ग्राह्य नही है और न ही अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। आर0आर0टी 2017(1) आर0जे.एच.सी पेज नम्बर 275 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प दस्तावेज किसी भी प्रयोजन हेतु साक्ष्य में ग्राह्य नही है। प्रतिवादीगण के कथनो के अनुसार वादी ग्राम भाड़ी में गत सात वर्षो से रह रहा है और वही उसके मकानात, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज बने हुये है वादी की ग्राम

... सरजगढ़

डोबड़ा में कोई कृषि भूमि नही है। वादी अधिवक्ता के कथनानुसार किसी खातेदार का उसके गांव से बाहर किसी स्थान पर जीविका उपार्जन हेतु जाने से उसके खातेदारी अधिकारो का परिशमन नही हो सकता। इसके सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.टी 2017(1) आरएजे एच.सी पेज नम्बर 190 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने यह सिद्धान्त पारित किया Movement of a tenant from his village to earn his livelihood to any other place in India is not sufficient to apply the provision of sec- 63(1) (viii)- वादी की आरे से गवाह पी0डी0–1 ने अपने बयानो व जिरह में विवादित भुमि पर शुरू से ही कब्जा काश्त साबित की है जबकि प्रतिवादीगण का एक तरफ अपने पिता द्वारा 900 रूपये परिदत्त कर भुमि क्रय करना तथा दूसरी तरफ वादी के गोद जाने का कथन आपस में विरोधाभासी है इसलिये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज, मौखिक साक्ष्य से यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है और वादी को विवादित भुमि के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. आया वादी विवादित भुमि के अपने हिस्से का विभाजन करवाने का अधिकारी है व अलग से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है

तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है और वादी को हिस्सा 1/6 का खातेदार घोषित किया जा चुका है एक खातेदार संयुक्त खातेदारी की भुमि का विभाजन करवाने एवं विभाजन में प्राप्त हिस्से पर अलग से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिये तनकी नम्बर 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है एक खातेदार अपने सह खातेदार के विरूद्ध द्वारा विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है इसलिये तनकी नम्बर 3 भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आया वादी निहालाराम नानूराम पुत्र धन्नाराम निवासी भांडी तहसील भादरा बचपन में गोद चला गया इसलिये पैतृक भुमि में कोई हिस्सा शेष नही रहा।

तनकी नम्बर 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण ने अपने जबाब वादपत्र में कही पर भी यह दर्ज नही किया कि वादी किस तारीख, साल में गोद गया था। वादी ने सन् 1956 में ही विरासत में विवादित भुमि का हिस्सा 1/6 प्राप्त कर लिया था। प्रतिवादीगण ने जो खोलानामा प्रदर्श–4 पेश किया है वह सन् 1961 का है वादी का उसके बाद किसी अन्यत्र गोद जाना उसके खातेदारी अधिकारों को समाप्त नही करता है जिसका विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर 1 के निर्णय में किया जा चुका है इसलिये तनकी नम्बर 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5. आया वादी के विवादित भुमि में अपना हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 के पिता श्योचन्द को 900 रूपये में विक्रय कर दिया।

तनकी नम्बर 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगण ने प्रदर्श डी–11 बही लिखावट पेश की है जो एक अनस्टाम्ड व अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जो साक्ष्य में ग्राह्य नही है। उक्त दस्तावेज के आधार पर खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

अधिकारों का अर्जन नहीं किया जा सकता है जिसका विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर 1 में किया जा चुका है इसलिये तनकी नम्बर 5 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

6 आया वादी के गोद के पिता नानूराम की मृत्यु पर विरासतन नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 22.11.04 को वादी के नाम भुमि ग्राम मांडी स्थित खसरा नम्बर 505 व 621 मरा व्याना वादी अपने गोद के पिता की भुमियो का खातेदार दर्ज हो गया व काबिज है इस कारण वादग्रस्त भुमि में कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

तनकी नम्बर 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है वादी विवादित भुमि को सन् 1956 में एक विरासत में प्राप्त कर चुका है तथा उसके बाद गोद गया है जिसका विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर 1 में किया जा चुका है जो सम्पति गोद जाने से पूर्व वत्तक में में निहित हो गई लगातार उसी में निहित रहेगी। यहां वादी विरासत में भुमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के बाद गोद गया है इसलिये तनकी नम्बर 5 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

7. आया वादी का वादग्रस्त आराजियात पर गत साठ वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त नही रहा इस कारण वाद मियाद बाहर होने से काबिले खारिज है।

तनकी नम्बर 7 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

जहां तक कब्जा काश्त होने का प्रश्न है वादी ने स्वंय को काबिज होना बताया है प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता श्योचन्द के नाम जो नामान्तकरण दिनांक 01.09.1970 को तस्दीक किया वह प्रदर्श–1 है । निहाला जमीन काश्त नही करता व प्रतिवादीगण का कब्जा होने से तस्दीक किया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ऐसा कोई प्रावधान नही है कि कोई व्यक्ति कमाने खाने के लिये बाहर चला जाये तो उसकी आराजियात को अन्य के खाते में दर्ज कर दी जावे इसलिये तनकी नम्बर 7 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। तनकी न0 01 में विस्तृत व्याख्या।

8 आया वादग्रस्त आराजियात पर वादी 60 वर्षो से अधिक समय से कब्जा नही रहा और वादी अपने दावे में कब्जा लेने की इस्तदुआ भी नही चाही है इस कारण वादी वादी का दावा काबिले खारीज है।

वादी ने अपने बयानो में भुमि पर काबिज बताया है उक्त तनकी में दर्ज तथ्यो का विस्तृत विवेचन तनकी 1, 2 में किया जा चुका है। भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की होने से वादी को विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर सभी का कब्जा काश्त माना जावेगा इसलिये तनकी नम्बर 8 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

9 आया वादी गत 60 वर्षो से अधिक समय से ग्राम माडी में रह रहा है वही पर उसका राशन कार्ड है व विधान सभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में भी ग्राम माडी में उसका नाम है व ग्राम दोबड़ा में उसका कोई घर मकान राशन कार्ड नही है ग्राम दोबड़ा की वोटर लिस्ट में भी उसका नाम नही है इस कारण से वादी का दावा कतई झूठा होने से काबिले खारीज है।

तनकी नम्बर 9 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है तथा तनकी नम्बर 7 व 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है इसलिये तनकी नम्बर 9 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है तथा उपरोक्त विवेचन एवं राजस्व रिकोर्ड को ध्यान में रखते हुये वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

राजस्व वाद संख्या:– 34/2015
निहाला वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक:– 16.12.2022

आदेश

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। वाके ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ में स्थित भुमि गत खसरा नम्बर 114, 104, 91 से बने हाल खसरा नम्बर 196 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 1.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 212 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 213 रकबा 4.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा 3.44 हैक्टर, में वादी को हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को भी हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित नही करे। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे, रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे, उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 34 / 2015

निर्णय दिनांक :— 16-12-2022

निहालाराम वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0

दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री गोरधन सिंह एड0 व प्रतिवादी की ओर से श्री मूलचन्द शर्मा एड0 की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 16.12.2022 को राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" वाके ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ में स्थित भुमि गत खसरा नम्बर 114, 104, 91 व बने हाल खसरा नम्बर 196 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 1.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 212 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 213 रकबा 4.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0. .. हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर .. रकबा 3.44 हैक्टर, में वादी को हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को भी हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित नही करे। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे, रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner